उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 08 जनवरी, 2007 को अपराह्न 2:00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 12वीं बैठक की कार्यवृत्त

उपस्थिति :

(1)	प्रो केदार नाथ सिंह यादव कुलपति उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
(2)	प्रो. एस.के. पाण्डेय, सांख्यिकी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
(3)	प्रो. जगन्नाथ पाल प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(4)	डॉ. डी.सी. लाल शारीरिक शिक्षा विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(5)	प्रो. एस.पी. गुप्ता विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(6)	डॉ. एम.एन. सिंह निदेशक, समाज विज्ञान उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(7)	डॉ. बी.एन. सिंह निदेशक, मानविकी उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(8)	डॉ. टी.एन. दुबे पुस्तकालयाध्यक्ष उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(9)	डॉ. नागेन्द्र यादव उपाचार्य, व्यवसाय प्रबन्धन विभाग उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

(10) डॉ. (श्रीमती) रुचि बाजपेई — सदस्य
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

(11) श्री एम.एल कनौजिया — सचिव
कुलसचिव
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :

1. प्रो. संतोष पाण्डा
निदेशक, STRIDE
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
नई दिल्ली
2. प्रो. आनन्द मोहन
इलेक्ट्रानिक्स विभाग, आई.आई.टी.
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी
3. प्रो. आर.के. चौहान
अतिरिक्त सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली – 110002
4. प्रो. आर.सी. यादव
विज्ञान संकाय,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी
5. डॉ. इफ्तेखार अहमद
प्राचार्य
शिबली नेशनल पी.जी. कालेज,
आजमगढ़

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने नये सदस्यों डॉ. एम.एन. सिंह, डॉ. बी.एन. सिंह, डॉ. टी.एन. दुबे तथा नवनियुक्त कुलसचिव श्री मिठाई लाल कनौजिया का स्वागत किया तथा सबके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 12.01

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 05 अक्टूबर 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 05 अक्टूबर, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 12.02

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 05 अक्टूबर 2006 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 05 अक्टूबर, 2006 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 12.03

दान–दाता स्वर्ण पदक हेतु प्राप्त धनराशि को स्वीकार करने तथा दान–दाता की शर्तों पर विचार

विद्या परिषद् ने दान–दाता स्वर्ण पदक हेतु प्राप्त धनराशि को स्वीकार करने तथा दान–दाता की शर्तों पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि स्वर्ण पदक प्रदान करने के निमित्त निम्नलिखित प्रत्येक दान–दाता द्वारा रु. 25,000/– दिए गए दान को उनकी शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाय तथा कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय :

क्र. सं.	दान–दाता का नाम, पता व दान की धनराशि	दान की शर्तें
1.	श्री आलेख जिन्दल, जिन्दल बुक स्टोर्स, माता मोहल्ला, हापुड़ दान की धनराशि रु. 25,000/– चेक संख्या – 115745 दि. 05–12–2006 (बैंक – इलाहाबाद बैंक)	(i) **बी.एड. परीक्षा** के अनन्तर समस्त महिला परीक्षार्थियों में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को **बाबू ओम प्रकाश गुप्त स्मृति स्वर्ण पदक** प्रदान किया जायेगा। (ii) यदि बी.एड. परीक्षा में कोई ऐसी महिला परीक्षार्थी जो प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण न हुई हो तो **त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षाओं** में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को उक्त स्वर्ण पदक दिया जायेगा। (iii) यदि स्नातक परीक्षा में भी कोई महिला परीक्षार्थी अर्ह न पाई जाय, तब विश्वविद्यालय की **समस्त परीक्षाओं** में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली महिला को उपरोक्त स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा।

2.	श्री इरशाद मिर्जा, मिर्जा फाउन्डेशन, कानपुर दान की धनराशि रु. 25,000/— चेक संख्या — 230782 दिनाँक 06—12—2006 बैंक — पी.एन.बी.	कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा की **स्नातकोत्तर परीक्षा** के अनन्तर समस्त महिला परीक्षार्थियों में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने एवं सर्वाधिक अंक प्राप्ति करने वाली छात्रा को **जोहरा अहमद मिर्जा स्मृति स्वर्ण पदक** दिया जायेगा।
3	श्री संतोष कुमार (पनामा) मेसर्स जैगुआर्स पैकेजिंग प्रा. लि., कानपुर दान की धनराशि रु. 25,000/— चेक संख्या 001789 दिनाँक 30-12-2006 प्राप्त	**एम.बी.ए.** परीक्षा के अनन्तर समस्त महिला परीक्षार्थियों में प्रथम प्रयास में उत्तीण होने एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को **श्री कैलाशपत नेवेटिया स्वर्ण पदक** प्रदान किया जायेगा।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 12.04

शोध उपाधि कार्यक्रम सम्बन्धी अध्यादेशों में प्रस्तावित संशोधन पर पुर्नविचार

विद्या परिषद् ने शोध कार्यक्रम संचालन अध्यादेशों में प्रस्तावित संशोधन पर पुनः विचार किया।

विद्या परिषद् ने कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 05—11—2006 में प्रकट किए विचारों का सम्मान किया तथा इंगित बिन्दु पर विस्तार से विचार करने के उपरान्त निश्चय किया कि शोध उपाधि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी अध्यादेशों में पूर्व प्रस्तावित संशोधन (परिशिष्ट "क") की स्वीकृति हेतु कार्य परिषद् को पुनः संस्तुत किया जाय क्योंकि शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि दो वर्ष से अधिक राज्य के किसी विश्वविद्यालय में नहीं है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 12.05

दिनाँक 20 जनवरी, 2007 को होने वाले विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षान्त समारोह में डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची का अनुमोदन

विद्या परिषद् ने दिनाँक 20 जनवरी, 2007 को **तृतीय दीक्षान्त समारोह में डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा** प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुमोदन पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि दिनाँक 20 जनवरी, 2007 को तृतीय दीक्षान्त समारोह में डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुमोदन हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय,

जिसका विवरण निम्नवत है :

S.No.	PROGRAMME NAME	2005-06
1.	Bachelor of Arts (B.A.)	123
2.	Bachelor of Commerce (B.Com.)	26
3.	Bachelor in Tourism Studies (BTS)	06
4.	Bachelor of Science (B.SC.)	08
5.	Bachelor of Computer Application (BCA)	38
6.	Bachelor of Library And Information Science (BLIS)	374
7.	Bachelor of Education (B.Ed.)	430
8.	Master of Arts (MA)	198
9.	Master of Library And Information Science (MLIS)	154
10.	Master of Computer Application (MCA)	38
11.	Master of Business Administration (MBA)	42
12.	Post Graduate Diploma in Journalism & Mass Communication (PGDJMC)	589
13.	Post Graduate Diploma in Financial Management (PGDFM)	18
14.	Post Graduate Diploma in Translation (PGDT)	08
15.	Post Graduate Diploma in International Marketing & E-Business (PGDIMB)	14
16.	Post Graduate Diploma in Creative Writing in Hindi (DCWH)	01
17.	Post Graduate Diploma in Educational Management (PGDEM)	31
18.	P.G. Diploma in Environment & Sustainable Development (PGDESD)	01
	GRAND TOTAL	**2099**

कार्यसूची बिन्दु संख्या 12.06

विद्या परिषद् के संकल्प संख्या 11.03 दिनाँक 05-10-2006 के अनुपालन में अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए मापदण्ड/मानक बनाने हेतु समिति के गठन से सम्बन्धित कुलपति के आदेश से अवगत होना

विद्या परिषद् ने अपने संकल्प संख्या 11.03 दिनाँक 05–10–2006 के अनुपालन में अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए मापदण्ड/मानक बनाने हेतु समिति गठन से सम्बन्धित कुलपति के आदेश से अवगत हुई तथा समिति की रिपोर्ट दिनाँक 27–12–2006 पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट दिनाँक 27–12–2006 को स्वीकार किया जाय तथा **परिशिष्ट "ख"** में उल्लिखित मानकों के अनुमोदन हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 12.07

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय कुलगीत के अनुमोदन पर विचार

निश्चय किया गया कि **परिशिष्ट "ग"** में उल्लिखित विश्वविद्यालय कुलगीत के अनुमोदन हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(एम.एल. कनौजिया)
कुलसचिव

परिशिष्ट-क

Draft amendment in Ordinance A (1), B(3) and G (1) of Ordinances governing the Research Degree Programme

----

1. In Ordinance A(1) the word 'D.Phil.' occurring in the second line of the first para be substituted with the words **'Ph.D'** and the words **"or such other degree"** occurring in the second line be deleted.

After above modification the relevant Ordinance be read as under :-

A(1) The Degree of Master of Philosophy (M.Phil.) and the *Degree of Doctor of Philosophy* ***(Ph.D.)*** may be awarded by the University to a registered student on his/her successfully completing the prescribed programme of research offered by the University.

The change in nomenclature as made above will apply mutatis mutandis in the Ordinances or in the Guidelines or where ever the word 'D.Phil'. occurs.

2. B(3) In Ordinance B(3), para - 1 Composition of R.D.C. at serial No. (ii) the words **'of the subject concerned'** be added between the words **'experts'** and **'who'**. and at serial No. (iv) Three Directors of Schools nominated by the Vice-Chancellor be substituted with the words **'The Director of the School concerned.'**

After the above modifications the relevant Ordinance will read as under :-

(3) The composition of Research Degree Committee shall be as follows :

(i) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Research Degree Committee.

(ii) Two experts **of the subject concerned** who are not employees of the University, nominated by Vice-Chancellor.

(iii) One representative each of the Planning Board and the Academic Council nominated by the Vice-Chancellor.

(iv) The Director of the School concerned.

(v) Officer Incharge for Research Development and Coordination shall be the Member Secretary of the Research Degree Committee.

3. G(1) The words **'3 years'** occurring in the second line of para 1 under heading **duration** be substituted with the words '2 years' and the word **"curtailed"** occurring in the last line be substituted with the word **"reduced"**

After modification Ordinance G(1) will read as under :-

The minimum and maximum time for completing the programme shall be 2 years to 4 years for M.Phil. and **2 years** to 5 years for Ph.D. respectively, counted from the date of registration to the programme; provided, however, that the period may be reduced or extended with the approval of the Vice-Chancellor.

Explanatory Note

(1) In order to maintain similarity in nomenclature of Degrees awarded by the University it has been felt necessary that D.Phil. - the existing short name of Doctor of Philosophy should be replaced with Ph.D. which is commonly used in Universities in India. Hence the above amendment has been proposed to be at par with other Universities and to remove confusion among the students.

(2) In other Universities the R.D.C. is constituted subject wise but the provision regarding composition of the R.D.C. in this University is different. Under the circumstances the existing composition of the R.D.C. needs slight modification. Hence the above modification has been proposed.

(3) The minimum duration for submission of Ph.D. Thesis is written 2 years in the Guidelines passed by A.C./E.C. whereas in Ordinance No. G(1) the minimum period for submission of Ph.D. Thesis is given 3 years. In other Universities the minimum period is 20 to 24 months. Thus in order to equate the minimum period for submission of Ph.D. Thesis and also to remove the anomaly between the provisions made in the Ordinances and Guidelines, the provision of Ordinance needs to be amended. Hence the above modification in the relevant Ordinance has been proposed.

The matter is placed before the Academic Council for consideration.

Registrar

परिशिष्ट- ख

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

नये अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए मापदण्ड/मानक बनाने हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो. एस.पी. गुप्ता
2. डॉ. एम.एन. सिंह
3. डॉ. बी.एन. सिंह
4. प्रो. आर.बी. सिंह
5. डॉ. नागेन्द्र यादव

उपस्थित सदस्यों ने अपनी बैठकें दिनाँक 15–12–2006, 18–12–2006 व 27–12–2006 में गहन विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न मानक/मापदण्ड संस्तुत करने का प्रस्ताव किया।

मानक/मापदण्ड

1. आवेदन–पत्र पर विचार करते समय अपेक्षित कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु आवश्यक **आधारभूत सुविधाएं** यथा भवन, कक्षा–कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व परामर्शदाताओं की सुलभ उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाय अर्थात् संस्था में या तो यह सुविधाएं वर्तमान में विद्यमान हो अथवा संस्था कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व इन्हें सृजित करने में सक्षम हों। साथ ही संस्था प्रथम वर्ष में न्यूनतम 20 शिक्षार्थी प्रति कार्यक्रम (कम्प्यूटर, प्रबन्धन, जनसंचार व पुस्तकालय विज्ञान के कार्यक्रमों में 10 शिक्षार्थी प्रति कार्यक्रम) नामांकित करने के लिए वचनबद्ध हों।

2. मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को सम्बन्धित संस्था के पुस्तकालय, प्रयोगशाला व अन्य सुविधाओं के **प्रयोग करने की अनुमति हों।** इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय तथा अध्ययन केन्द्र की सहमति से परस्पर आवश्यक नियम बनाकर शिक्षार्थियों को अवगत करा दिया जाय।

3. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के **आवेदन–पत्र को प्रारूप** ***(संलग्नक–1)*** पर प्राप्त किया जाय। इस फार्म में अध्ययन केन्द्र पर विद्यमान सुविधाओं के साथ–साथ सृजित की जाने वाली अपेक्षित सुविधाओं का पूर्ण व स्पष्ट विवरण मांगा जाय।

4. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का आवेदन करने वाली संस्थाओं से निम्न विवरणानुसार **आवेदन शुल्क** लिया जाय :–

(i)	सरकार द्वारा अनुदानित उच्च शिक्षा संस्थाएं	–	कोई नहीं
(ii)	स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाएं	–	रु. 1000.00
(iii)	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत अन्य संस्थाएं	–	रु. 5000.00

5. क्रमांक (ii) एवं (iii) पर अंकित शिक्षा संस्थाओं से **रु. 10,000.00 की जमानत राशि** जमा कराई जाय।

नोट : आवेदन शुल्क/जमानत राशि का बैक ड्राफ्ट **वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद** के पदनाम से बनाया जायगा।

6. सम्बन्धित विषयों में **नियमित अथवा सेवानिवृत्त** अध्यापक एवं **अत्यन्त आवश्यक** होने पर डिग्री कालेज में नियुक्ति हेतु **अर्ह शोध छात्र या व्यक्ति ही** परामर्शदाता का कार्य करेंगे।

7. शिक्षा संस्था में निम्नवत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो :–

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	सुविधाएं
1.	*2.*	*3.*
(i)	BA, MA, B.Sc., B.Com., M.Com के UG/PG कार्यक्रम	सम्बन्धित विषय में स्नातक/परास्नातक स्तर पर किसी विश्वविद्यालय से मान्यता, कक्षाकक्ष तथा पुस्तकालय व प्रयोगशाला की अपेक्षित सुविधा
(ii)	प्रबन्धन के कार्यक्रम	वाणिज्य अथवा प्रबन्धन में स्नातक/परास्नातक स्तर पर किसी विश्वविद्यालय से मान्यता, कक्षाकक्ष तथा पुस्तकालय व कम्प्यूटर की अपेक्षित सुविधा एवं न्यूनतम **चार अर्ह** Guest Faculty जो किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित पद पर कार्यरत हो/सेवानिवृत्त हो अथवा सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हो, की उपलब्धता।
(iii)	पुस्तकालय विज्ञान के कार्यक्रम	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर किसी विश्वविद्यालय से मान्यता अथवा संस्था के पुस्तकालय में कम से कम M.Lib उपाधि प्राप्त नियमित पुस्तकालयाध्यक्ष, कक्षाकक्ष, पुस्तकालय व कम्प्यूटर की अपेक्षित सुविधा एवं कम से कम चार अर्ह Guest Faculty **चार अर्ह** Guest Faculty जो किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित पद पर कार्यरत हो/सेवानिवृत्त हो अथवा सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हो, की उपलब्धता।
(iv)	जनसंचार के कार्यक्रम	जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय जैसे हिन्दी, प्रयोजन मूलक हिन्दी, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान, मीडिया आदि में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता, कक्षाकक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर व कैमरा आदि उपकरणों की सुविधा एवं न्यूनतम चार **अर्ह** Guest Faculty जो किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित पद पर कार्यरत हो/सेवानिवृत्त हो अथवा सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हो, की उपलब्धता।
(v)	कम्प्यूटर कार्यक्रम	कम्प्यूटर में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त, कक्षाकक्ष, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय व कम से कम **चार अर्ह** Guest Faculty जो किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित पद पर कार्यरत हो/सेवानिवृत्त हो अथवा

		सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हो, की उपलब्धता। **अथवा** 15 कम्प्यूटर वाली कम्प्यूटर प्रयोगशाला, कम से कम दो वर्ष पुरानी पंजीकृत संस्था, 02 **बड़े** कक्षा–कक्ष, कम्प्यूटर विषय पर स्तरीय स्तर की **50 पुस्तकों वाला पुस्तकालय, बेसिक फोन, ब्रोडबैन्ड** व **अन्य अपेक्षित सुविधाएं** एवं कम से कम **चार अर्ह** Guest Faculty जो किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित पद पर कार्यरत हो/सेवानिवृत्त हो अथवा सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हो, जो कुल प्रयोगात्मक कक्षाएं व परामर्श सत्रों की **50 प्रतिशत** कक्षाएं अवश्य लें।
(vi)	अन्य कार्यक्रम	कार्यक्रम की प्रकृति के अनुरूप Faculty, पुस्तकालय/प्रयोगशाला सुविधा, कक्षाकक्ष व अन्य सुविधाएं

8. अध्ययन केन्द्र स्वीकृत करने से पूर्व निम्न समिति अनिवार्य रूप से संस्था का निरीक्षण करे एवं कुलपति जी को विस्तृत आख्या निर्धारित प्रारूप पर (संलग्नक–2) प्रस्तुत करें :–

1. कुलपति द्वारा नामित **सम्बन्धित विषय का एक विश्वविद्यालय अध्यापक**
2. कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय का एक **बाहरी विशेषज्ञ** (केवल स्ववित्त पोषित महाविद्यालय व अन्य संस्थानों की स्थिति में)
3. कुलपति द्वारा **नामित समन्वयक**, जो विश्वविद्यालय में कम से कम रीडर स्तर का हो

नोट : (i) एक से अधिक कार्यक्रमों की स्थिति में प्रत्येक विषय/सम्बन्धित विषय के लिए क्रमांक 01 व 02 के लिए अलग–अलग सदस्य होंगे परन्तु समन्वयक एक ही होगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह0/	ह0/	ह0/
(डॉ. एम.एन. सिंह) निदेशक, समाज विज्ञान	(डॉ. बी.एन. सिंह) निदेशक, मानिविकी	डॉ.(नागेन्द्र यादव) उपाचार्य, व्यवसाय प्रबन्धन
ह0/	ह0/	
प्रो. (आर.बी. सिंह) वरिष्ठ परामर्शदाता	प्रो. (एस.पी. गुप्ता) आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग	

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

1.	महाविद्यालय/संस्था का नाम	
2.	पत्राचार का पता (पिन कोड सहित) :	
3.	सम्पर्क सूत्र .... दूरभाष सं. .... मोबाईल नं. .... ई–मेल	
4.	स्थापना वर्ष	
5.	विश्वविद्यालय का नाम जिससे सम्बद्ध हो (कुलाधिपति द्वारा निर्गत पत्र की फोटो कापी संलग्न की जाय)	
6.	महाविद्यालय/संस्थान का स्तर	
7.	अगर महाविद्यालय अथवा उसके कुछ विभाग/कार्यक्रम स्ववित्त पोषित है तो इंगित किया जाय	
8.	महाविद्यालय/संस्थान द्वारा संचालित वर्तमान पाठ्यक्रम	
9.	अगर संस्था प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग में संलग्न है तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाय	
10.	अगर संस्था किसी विश्वविद्यालय का पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चला रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाय।	
11.	विषय एवं योग्यता सहित शिक्षकों की सूची (शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जाय)	
12	पुस्तकालय की उपलब्ध सुविधा का पूर्ण विवरण। (विषयवार पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं की संख्या भी दी जाय।)	
13.	कम्प्यूटर की उपलब्ध सुविधा का पूर्ण विवरण (कम्प्यूटर लैब की साइज, कम्प्यूटर की संख्या इत्यादि)	
14.	क्या संस्था के पास इण्टरनेट/ब्रोड बैन्ड कनेक्शन और जनरेटर की सुविधा है?	
15.	यूपीआरटू के उन कार्यक्रमों का नाम जो प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र पर संचालन हेतु वांछित है। (प्रत्येक वांछित कार्यक्रम हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण दिया जाय)	
16.	अध्ययन केन्द्र कार्यालय तथा समन्वयक कक्ष के लिए क्या महाविद्यालय/संस्थान में स्थान उपलब्ध है? यदि हाँ तो उसका विवरण दिया जाय और भवन का मानचित्र संलग्न किया जाय	
17.	अध्ययन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव (संख्या एवं दिनाँक का उल्लेख करें तथा प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)	

18.	महाविद्यालय/संस्थान से निकटतम :		
	(अ)	रेलवे स्टेशन का नाम एवं दूरी	
	(ब)	बस स्टेशन का नाम एवं दूरी	
	(स)	पुलिस स्टेशन का नाम एवं दूरी	
	(द)	डाकघर का नाम एवं दूरी	
19.	महाविद्यालय/संस्थान की प्रबन्ध समिति के सचिव/प्रबन्धक/निदेशक का नाम :		
	(अ)	दूरभाष संख्या	
	(ब)	फैक्स नम्बर	
	(स)	मोबाइल नम्बर	
	(द)	ई–मेल	
20.	महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य का नाम :		
	(अ)	दूरभाष संख्या	
	(ब)	फैक्स नम्बर	
	(स)	मोबाइल नम्बर	
	(द)	ई–मेल	
21.	प्रस्तावित समन्वयक का नाम, पदनाम, विभाग, दूरभाष एवं मोबाईल नं.		....
22.	अन्य प्रासंगिक सूचना		
23.	कृपया उल्लेख करें यदि केन्द्र :		
	(अ)	केवल छात्रों के लिए है अथवा	
	(ब)	केवल छात्राओं के लिए है अथवा	
	(स)	छात्र/छात्राओं दोनों के लिए है	

हस्ताक्षर प्राचार्य

हस्ताक्षर प्रबन्धन/निदेशक

दिनाँक :

नोट : 1. सभी प्रविष्टियों की स्पष्ट और सही जानकारी देना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन–पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

2. सूचना की पुष्टि हेतु मांगे गये संलग्नकों को नत्थी करना जरूरी है।

3. वांछित कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों और अन्य उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण विवरण अलग से संलग्न किया जाय।

4. महाविद्यालय/संस्थान का संचालन करने वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र और उसके संविदा की एक प्रति संलग्न की जाय।

5. स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को रु. 1,000/– और अन्य संस्थाओं को रु. 5,000/– आवेदन/पक्रमीकरण शुल्क जमा करना होगा, जो *वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पदनाम से इलाहाबाद में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगी।*

6. *क्रमांक पाँच में उल्लिखित संस्थाओं को रु. 10,000/– जमानत राशि भी जमा करनी होगी।*

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या का प्रारूप

1.	संस्था का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूरा पता (दूरभाष सहित)		निरीक्षण की तिथि ....
2.	निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का नाम		
3.	संस्था के निदेशक/प्रबन्धक का नाम, दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर		
4.	प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम एवं पेशा		
5.	संस्था का रजिस्ट्रेशन विवरण (रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र और संविधान की प्रति संलग्न की जाय)		
6.	अध्ययन केन्द्र हेतु उपलब्ध कमरों की संख्या एवं उनका आकार (भवन का मानचित्र संलग्न किया जाय)		
7.	**अन्य उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :**		
	(i)	कम्प्यूटर लैब (आकार, कम्प्यूटर संख्या) एवं ए.सी. है/नहीं है	
	(ii)	विद्युत आपूर्ति (जेनरेटर की सुविधा है/नहीं है	
	(iii)	बेसिक टेलीफोन/फैक्स/इण्टरनेट कनेक्शन/ई.मेल	
	(iv)	अध्ययन केन्द्र की अभिगम्यता	
	(v)	पुस्तकालय की सुविधा एवं विषयवार पुस्तकों की संख्या	
8.	क्या संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग में संलग्न है ? हाँ/नहीं यदि हाँ तो छात्र संख्या सहित उसका विवरण		
9.	क्या संस्था द्वारा पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया जाता है ? हाँ/नहीं यदि हाँ तो विश्वविद्यालय का नाम : छात्र संख्या सहित पाठ्यक्रमों का विवरण		

10.	क्या संस्था यूपीआरटू का अध्ययन केन्द्र खोलने पर संस्था पत्राचार पाठ्यक्रम बन्द करेगी ? हाँ/नहीं		
11.	नगर विशेष में कार्यरत दूरस्थ शिक्षा के अन्य अध्ययन केन्द्र		
क्र. सं.	अध्ययन केन्द्र	विश्वविद्यालय	अनुमन्य कार्यक्रम
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
12.	आवंटित संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के निम्न कार्यक्रमों को चलाने हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। अतः अध्ययन केन्द्र खोलने और निम्न कार्यक्रमों के संचालन की अस्थायी अनुमति देने की संस्तुति की जाती है।		
	संस्तुत कार्यक्रम :		
	अथवा निर्धारित मानकों की पूर्ति न होने के कारण अध्ययन केन्द्र खोलने की अनुमति देने का औचित्य नहीं है।		
13.	अगर कार्यक्रम विशेष हेतु सशर्त संस्तुति की गयी है तो शर्तो का विवरण इंगित करें क्या पुनः स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता होगी ? **(आवश्यकता होने पर अलग से पन्ना प्रयोग में लायें)**		

निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के हस्ताक्षर

14.	प्रभारी प्रवेश सेल की आख्या
15.	कुलसचिव की आख्या
16.	कुलपति जी का आदेश

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कुलगीत

सद्ज्ञान तीर्थ पावन नगरी यही सुहाती।
सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती।।

शिक्षा जगत् पुरोधा आदर्श राष्ट्र–नायक।
हिन्दी प्रबल समर्थक सद्भावना विधायक।।
यह मुक्त पीठ अनुपम राजर्षि जिसकी थाती।
सबके लिए सुशिक्षा .... ।।

संगम मनीषियों की चिन्तन धरा मनोहर।
भगवान राम अपने दीक्षित हुए यहीं पर।।
विज्ञान, धर्म, दर्शन के मंत्र को जगाती।
सबके लिए सुशिक्षा .... ।।

गंगा सरस्वती माँ यमुना की वाग्धारा।
स्वाध्याय, स्वावलम्बन, मंथन, पुनीत नारा।।
मंगलमयी उषा से सबका हृदय खिलाती।
सबके लिए सुशिक्षा .... ।।

उत्तर प्रदेश व्यापी अध्ययन केन्द्र न्यारे।
दूरस्थ ज्ञान पद्धति आधार हैं हमारे।।
विद्या प्रसार माध्यम संचार तंत्र पाती।
सबके लिए सुशिक्षा .... ।।

सत्कर्म, मुक्त चिंतन, आदर्श पथ चलें हम।
ज्ञानी बनें, गुणी हों, मंजिल पहुँच के लें दम।।
जीवन जगत समुज्ज्वल का सूत्र नित सिखाती।
सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती।।

अर्जुन तिवारी